

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल- 462 004

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 03/06/2022

क्रमांक एफ ए 3-04/2020/1/पांच : मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित हिन्दी फीचर फिल्म "सम्राट पृथ्वीराज" के कथानक एवं अन्य विशेष समाज उपयोगी गुणों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त फीचर फिल्म के मध्यप्रदेश में रिलीज होने की दिनांक 03.06.2022 से दिनांक 02.12.2022 तक के लिए इस सेवा प्रदाय पर, मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) के अधीन देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति करते हुए सिने-दर्शकों को उक्त राशि की छूट प्रदान करने का आदेश देता है।

2/ इस प्रतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स द्वारा राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि को घटाकर दर्शकों को इस फिल्म के टिकट का विक्रय किया जायेगा। इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए संबंधित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्स के प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी।

3/ इस सेवा के प्रदाता मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों द्वारा इस सेवा पर देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) की राशि का स्वयं वहन किया जाएगा।

4/ इस सेवा प्रदाय पर देय एवं भुगतान किए गए राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के अंश के बराबर की राशि की राज्य शासन द्वारा सेवा प्रदाता को प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की राशि मुख्य लेखा शीर्ष 2040 में विकलनीय होगी।

इस आदेश के कियान्वयन से संबंधित विस्तृत निर्देश पृथक से आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.श्रीवास्तव)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्यिक कर विभाग

भोपाल, दिनांक 03/06/2022

पृ. क्रमांक एफ ए 3-04/2020/1/पांच

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसम्पर्क विभाग।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, वाणिज्यिक कर।
6. आयुक्त, वाणिज्यिककर, मुख्यालय, इंदौर।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी, निर्देशक हिन्दी फीचर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज
10. आर्डर फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

वाणिज्यिक कर विभाग